


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-1/विविध-67/2012- 1160(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 6 / 10/2017

राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा संविदा पर नियोजित चिकित्सकों के अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित मामले में संबंधित सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा, परन्तु ऐसे चिकित्सकों को नियुक्ति के पश्चात् राज्य स्वास्थ्य समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

2- प्रस्ताव में मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।



(अनिल कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-67/2012- 1160(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 6 / 10/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2, 3 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव